



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072025-264954
CG-DL-E-25072025-264954

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

आ.अ. 30(अ).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतदद्वारा श्रीमती गरिमा जैन, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली और श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को, रिटर्निंग ऑफिसर की उनके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है।

[फा. सं. 480/रि.आ-स.रि.आ./2025 (ii)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

О.Н. 30(Е).—In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission hereby appoints Ms. Garima Jain, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi and Shri Vijay Kumar, Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament

House, New Delhi to be the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2025 in discharge of his official functions.

[F. No. 480/RO-ARO/2025(II)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.